

॥ महानिदेशालय कारागार राजस्थान, जयपुर ॥

क्रमांक:-प.10(2)मुख्यालय/09/2023-00582/47649-750 दिनांक: 09/01/25

परिपत्र

राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास की न्यासी समिति की बैठक दिनांक 18.12.2024 में सर्व-सम्मति से लिये गये निर्णय के क्रम में राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास की सदस्यता राशि में से सेवानिवृत्ति पर वापस लौटाई जाने वाली धरोहर राशि समस्त सदस्यों की सेवानिवृत्ति पर वापस नहीं लौटा कर न्यास को दान-अनुदान के रूप में करने का निर्णय लिया गया है तथा राजस्थान पुलिस कार्मिक कल्याण न्यास, के नियम 6 (अ) एवं संशोधन आदेश क्रमांक 23008-23107 दिनांक 11.09.2006 में वर्णितानुसार सदस्य की सेवाकाल के दौरान मृत्यु की स्थिति में आश्रित को राजस्थान कारागार कार्मिक कल्याण न्यास, कोष से आर्थिक सहायता राशि रूपये 11,000/- से बढ़ाकर रूपये 1,00,000/- की जाती है।

(सुमेर सिंह)

महासचिव

राज. कारागार कार्मिक कल्याण न्यास एवं
वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग,
राजस्थान, जयपुर

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. समस्त उप महानिरीक्षक कारागार, रेंज राजस्थान।
2. अधीक्षक ग्रेड-I/II, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान जयपुर।
3. संस्थापन अधिकारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
4. समस्त प्रभारी, कारागृह राजस्थान।
5. प्राचार्य, कारागार प्रशिक्षण संस्थान, अजमेर।
6. समस्त शाखा प्रभारी, महानिदेशालय कारागार, राजस्थान, जयपुर।
7. निजी सहायक, महानिदेशक/अति. महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार, राजस्थान।
8. नोटिस बोर्ड चस्पा हेतु।

महासचिव

राज. कारागार कार्मिक कल्याण न्यास एवं
वित्तीय सलाहकार, कारागार विभाग,

राजस्थान, जयपुर
Signature valid

Digitally signed by Sumar Singh
Designation: Financial Advisor
Date: 2025.01.09 17:07:13 IST
Reason: Approved

